कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मथुरा ।

पत्रांकः / 14-1 मथुराःदिनांकः 14/8/2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा ।

विषय :- जनपद मथुरा में मथुरा–वृन्दावन–मांट–नौहझील मार्ग (एम0डी0आर0–123) के चैनेज 30.882 के दॉई ओर ग्राम–सुरीरकलॉ बॉगर के खसरा संख्या–1025 खाता संख्या–627 में एचपीसीएल द्वारा विकसित किए जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.04917 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति ।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–86/मथुरा/23090/2016,दिनांक 13.07.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में आपसे अनुरोध करना है कि प्रश्नगत परियोजना के वन भूमि हस्तानान्तरण प्रकरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में जो विन्दुवार आपत्तियॉं इंगित की गई है उनका विन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार है :-

1.	1:50000 स्केल के फुल साइज रंगीन टोपोशीट पर प्रस्तावित स्थल को स्पष्ट अंकित कर संलग्न नहीं किया गया है ।	याचक विभाग के द्वारा प्रश्नगत आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–37 पर अंकित है ।
2.	सयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेन्सी की ओर से आवेदक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा रिपोर्ट में वृक्ष के पातन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।	याचक विभाग के द्वारा उक्त त्रुटि का निराकरण कर दिया गया है तथा प्रस्तावित परियोजना में कोई वृक्ष अवस्थित नहीं है । प्रस्ताव में संयुक्त निरीक्षण की प्रति संलग्न सं0–35 तथा पृ0सं0–63 पर अंकित है ।
3.	ऑनलाइन पार्ट–2 के अनुसार बाधक वृक्षो की संख्या शून्य प्रतीत होती है किन्तु संरक्षित वन भूमि घोषित किए जाने वाले गजट में सम्बन्धित मार्ग को रंगीन पैन से चिन्हित नहीं किया गया है ।	ऑनलाइन पार्ट–2 में जो बाधक वृक्षो की संख्या शून्य दर्शाई गई है वह सही है तथा प्रस्तावित परियोजना के गजट नोटिफिकेशन में सम्बन्धित मार्ग को रंगीन पैन से चिन्हित कर दिया गया है ।
4.	मानक शर्तो के शासनादेश पर प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है । अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित कराऐं ।	याचक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी के सम्बन्धित अभिलेख पर हस्ताक्षर कर दिए है जो प्रस्ताव का संलग्नक सं0–20 के पृ0सं0–42 व 43 पर अंकित है ।
5.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 स्केल के फुल साइज रंगीन टोपोशीट पर चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है ।	उक्त त्रुटि का निवारण कर दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्नक सं0–33. के रूप में तथा पृ0सं0–62 पर उपलब्ध है।
6.	क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी की वचनवद्धता पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के द्वारा उक्त वचनवद्धता पर हस्ताक्षर कर दिए गए है तथा जो संलग्नक सं0–17 के रूप में तथा पृ0सं0–39 पर अंकित है ।
7.	प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी की वचनवद्धता पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के द्वारा उक्त वचनवद्धता पर हस्ताक्षर कर दिए गए है तथा जो संलग्नक सं0–18 के रूप में तथा पृ0सं0–40 पर अंकित है ।
8.	चिन्हित वन स्वरूप भूमि के सम्बन्ध में प्रयोक्त एजेन्सी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के द्वारा चिन्हित वन स्वरूप भूमि के सम्बन्ध हस्ताक्षर कर दिए गए है जो संलग्नक सं0–26 के रूप में तथा पृ0सं0–49 पर अंकित है ।
9.	प्रस्ताव के साथ संलग्न लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित ले–आइट प्लान पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है । सील सहित हस्ताक्षर अंकित करायें ।	उक्त त्रुटि का निवारण कर दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्नक सं–11 के रूप में तथा पृ0सं0–33 पर अंकित है।

Scanned by CamScanner

10.	मक डिस्पोजल योजना सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर प्रयोक्त एजेन्सी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के नामित अधिकारी से उक्त त्रुटि का निरतारण कर दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्नक सं0–28 के रूप में तथा पृ0सं0–61 पर अंकित है ।
11.	प्रस्तावित वन भूमि के डिजीटल मैप पर समस्त (Key Point) के अक्षांश व देशान्तर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के द्वारा उक्त त्रुटि का निस्तारण कर दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्नक सं0–14 के रूप में तथा पृ0सं0–36 पर अंकित है ।
12.	वन संरक्षक आगरा द्वारा ऑन लाइन संस्तुति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गई है ।	उक्त बिन्दु का निस्तारण आपके कार्यालय से अपेक्षित है ।
13.	प्रस्ताव के पृष्ठ–38 से 67 तक किसी भी अभिलेख में प्रयोक्ता एजेन्सी के समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।	याचक विभाग के नामित अधिकारी के सम्बन्धित पृष्ठ पर हस्ताक्षर अंकित करा दिए गए है ।
14.	प्रस्ताव के पृष्ठ–38, 39 व 41 की आवश्यकता नहीं है । इसे प्रस्ताव से पृथक करने का कष्ट करें ।	दिए गए निर्देशों के अनुसार उक्त पृष्ठों को पृथक कर दिया गया है ।
15.	उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या एवं विषय सूची को अपडेट करने का कष्ट करें ।	निर्देशों का पालन कर दिया गया है ।

प्रमाण–पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भली–भॉति परीक्षण कर लिया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्णतः संतुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा–निर्देशों के अनुरूप है तथा समस्त वांछित अभिलेख/सूचनायें संलग्न है ।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

पत्रांक 523/14-1 दिनांकित

प्रतिलिपि चीफ रीजनल मैनेजर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, 85/4 इस्पात भवन तृतीय मंजिल संजय प्लेस आगरा को सूचनार्थ एवं आप अपने स्तर से प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मथुरा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

4 प्रतियां प्रस्ताव प्राप्त किये

Scanned by CamScanner